218

10

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः जविप्रा / लेखा(आर.सीआर.) / 2014 / डी– 478 दिनांकः– 5/12/14

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक. जविप्रा / लेखा / आर.सी.आर / 2014 / डी–463 दिनांक 28.11.14 से नियमन कैम्पों मे भूखण्डां के नियमन एवं जविप्रा की अन्यता लेयता पेटे नकद राशि के साथ–साथ डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैकर्स चैक के रूप मे राशि प्राप्त कर पट्टा विलेख जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। तत स्वीकृति के क्रम मे निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :–

1. भूखण्डधारी / आवेदक द्वारा भूखण्ड से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज निर्धारित प्रपत्र मे जोन कार्यालय / शाखा मे प्रस्तुत किये जावेगें।
2. जोन / शाखा द्वारा भूखण्डधारी से प्राप्त दस्तावेजो की जांच कर मिलान मूल दस्तावेजो से किया जावेगा जिसमे स्वामित्व सम्बन्धी जांच विशेषकर सम्पादित की जावेगी।
3. जांच उपरान्त अनुमोदित भूखण्ड के अनुमोदित क्षेत्रफल का साईट प्लान बनाकर पत्रावली भूखण्ड के प्रति लेयता की गणना बावत पत्रावली जोन कार्यालय के लेखाकार को भिजवायी जावेगी।
4. भूखण्ड के अनुमोदित क्षेत्रफल के आधार पर लेखाकार द्वारा नियमानुसार लेय राशि की गणना कर मांग पत्र / चालान तैयार किया जावेगा जिसे भूखण्डधारी को उपलब्ध कराया जावेगा।
5. भूखण्डधारी द्वारा मांग पत्र / चालान के आधार पर सचिव, जविप्रा के नाम डी.डी. / बैकर्स चैक प्रस्तुत करना होगा।
6. जिन भूखण्डधारियों द्वारा चालान के साथ डी.डी. / बैकर्स चैक संलग्न किये जावें उन मामलों मे डी.डी / बैकर्स चैक की छायाप्रति शामिल पत्रावली करते हुये सम्बन्धित भूखण्डधारी को पट्टा विलेख जारी कर दिया जावेगा तथा प्राप्त डी.डी. / बैकर्स चैक को सूचीबद्ध कर जविप्रा की आई.सी.आई.सी.आई बैक शाखा मे जमा करा दिये जावेगे। बैंक से प्राप्त चालान की प्रति को सम्बन्धित पत्रावली मे शामिल कर दिया जावेगा।

(पवन अरोड़ा)
सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, आयुक्त जविप्रा, जयपुर
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर
3. निदेशक (वित्त) जविप्रा, जयपुर
4. समस्त अतिरिक्त आयुक्त ....जविप्रा, जयपुर
5. समस्त उपायुक्त जोन–........................जविप्रा, जयपुर
6. अतिरिक्त आयुक्त (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण) जविप्रा, जयपुर
7. विशेषाधिकारी (संसाधन एवं विकास) / उपनिदेशक (व्यय एवं बजट) जविप्रा, जयपुर
8. लेखाधिकारी (भुगतान) / लेखाधिकारी (आर.सी.आर) जविप्रा, जयपुर

(पवन अरोड़ा)
सचिव